

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 367 /2022

उनवान

1-3 रामा, रामदेव, लाला पुत्र उंकार भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- खाना पुत्र नारायण भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- छोटू पुत्र ज्वारा भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मनभरी पुत्री रामलाल भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- मांगी पुत्र श्रवण भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- रतनी पत्नी रामलाल भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- लाली पुत्री हीरा भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- श्यामलाल पुत्र रामलाल भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- सत्तू पुत्र श्रवण भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- सीता पुत्री रामलाल भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- खानी पुत्री हीरा भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- गणीया पुत्री श्रवण भील निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- दीना पुत्र सुलेमान फकीर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 13- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 12/10/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1689 रकबा 0.76 है0 कुल किता 1 रकबा 0.76 हैक्टेयर के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3, 5, 7 लगायत 9, 13 बावजूद सूचना उपरिथत नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 4, 6, 10 लगायत 12 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम निम्बाहेड़ा पटवार हल्का शाहपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बाहेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.76 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारानु की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारानु की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) जिला
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा